भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1029

जिसका उत्तर 05.02.2026 को दिया जाना

प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

1029. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की परियोजनाओं के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग कर निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की वर्षवार और राज्यवार किलोमीटर संख्या कितनी है;

(ख) क्या एनएचएआई अनुबंधों और बोली दस्तावेजों में सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग को अनिवार्य बनाया गया है या यह वैकल्पिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय सड़क कांग्रेस या अन्य स्वीकृत दिशानिर्देशों से अनुरूपता सहित ऐसे निर्माण के लिए निर्धारित मापदंड, तकनीकी विशिष्टताएं और गुणवत्ता मानक क्या हैं;

(घ) सरकार/एनएचएआई द्वारा तृतीय पक्ष परीक्षण, स्थल निरीक्षण, सामग्री प्रमाणन और निर्माणोत्तर संपरीक्षा जैसे निर्धारित मापदंडों के साथ ठेकेदार अनुपालन को सत्यापित करने के लिए क्या तंत्र अपनाया गया है; और

(ङ) क्या राजमार्ग निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट गैर-अनुपालन या अनुचित उपयोग के लिए ठेकेदारों के खिलाफ शास्ति, सुधारात्मक उपाय या अनुबंधात्मक कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करके निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच), जिनमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाएँ भी सम्मिलित हैं, की कुल लंबाई (किलोमीटर में) वर्ष-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्तमान में प्रचलित नीति के अनुसार यह अनिवार्य किया गया है कि परियोजना की तैयारी के दौरान विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) परामर्शदाता द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक के स्रोतों को चिन्हित किया जाए, उपलब्ध मात्रा का आकलन किया जाए तथा उसके गुणधर्मों का मूल्यांकन के आइआरसी:एसपी:98 "हॉट बिटुमिनस मिश्रणों (ड्राई प्रोसेस) में अपशिष्ट प्लास्टिक के उपयोग हेतु

दिशानिर्देश - ऊपरी घिसाव वाली परतों में" में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार किया जाए, चाहे परियोजना राजमार्ग शहरी/निर्मित क्षेत्रों में स्थित हो या ग्रामीण खुले क्षेत्र में। आइआरसी:एसपी: 98 में निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों के अनुरूप अपशिष्ट प्लास्टिक की उपलब्धता के संबंध में समुचित जाँच-परख (ड्यू डिलिजेंस) के उपरांत, डीपीआर परामर्शदाता द्वारा परियोजना के कार्य-क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले ईपीसी/एचएएम बोली दस्तावेज़ों की अनुसूची 'ख' में इसके उपयोग का प्रावधान सम्मिलित किया जाता है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाएँ सामान्यतः इंजीनियरिंग,खरीदऔर निर्माण (ईपीसी)/हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (एचएएम)/बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) पद्धति पर की जाती हैं, जिनमें संविदाकार /रियायतग्राही द्वारा लागू मैनुअल, मानकों/दिशानिर्देशों/कोड आदि के अनुसार अपना स्वयं का डिजाइन तैयार किया जाता है। घटक सामग्रियों की उपयुक्तता, मिक्स डिजाइन, संयंत्र तथा बिछाने से संबंधित परीक्षण, मिश्रण उत्पादन, परतीकरण एवं संपीड़न (कम्पैक्शन) की प्रक्रिया के साथ-साथ निर्माणोपरांत गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता आश्वासन परीक्षण, जिनमें तृतीय पक्ष परीक्षण भी सम्मिलित हैं और इसका सत्यापन प्राधिकरण अभियंता (एई)/स्वतंत्र अभियंता जिसे सरकार/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा द्वारा लगाया जाता हैं। किसी भी प्रकार की अनुपालना में कमी पाए जाने की स्थिति में, करार की शर्तों के अनुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

अनुलग्नक

"प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण" के संबंध में डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश द्वारा पूछे गए दिनांक 05.02.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1029 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करके निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई (किलोमीटर में)					
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
आंध्र प्रदेश	73.80	96.19	31.57	22.15	12.77
अरुणाचल प्रदेश	8.46	4.00	0.00	0.00	0.00
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ	6.33	0.00	0.00	100.00	0.00
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	10.62	0.00
हरियाणा	0.00	0.00	15.87	0.00	0.00
गोवा	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
झारखंड	0.00	0.00	0.00	14.66	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल	10.25	17.00	3.00	8.30	10.08
कर्नाटक	264.70	138.02	178.33	126.17	32.53
मध्य प्रदेश	19.02	14.30	56.83	5.98	8.00
महाराष्ट्र	2.45	4.02	39.75	18.40	0.00
मणिपुर	3.47	0.00	5.00	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ओडिशा	0.00	0.00	0.00	23.00	36.71
पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	5.94	11.56	3.70	14.00	0.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
तमिलनाडु	13.49	9.93	2.50	25.74	75.60
तेलंगाना	12.64	6.06	4.79	15.93	7.14
उत्तर प्रदेश	299.16	377.02	327.53	306.00	90.58
उत्तराखंड	14.96	4.10	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	5.00	1.00	3.90	1.62	0.00

*****